परीक्षा समिति की बैठक दिनांकः 26.10.2016 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 26.10.2016, दिन बुधवार को अपराह्न 03:00 बजे सेण्टर फॉर एकेडिमिकस भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई, बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहे :–

1.	प्रो0 जे0वी0 वैशम्पायन, कुलपति, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	प्रो0 आर0सी0 कटियार, आचार्य, आई0बी0एम0, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
3.	प्रो0 नन्द लाल, आचार्य, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
4.	डॉ0 नीता जैन, विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग, क्राइस्ट चर्च कालेज, कानपुर।	सदस्या
5.	डॉ0 (श्रीमती) निरंजना शुक्ला, प्राचार्या, जुहारी देवी गर्ल्स पी.जी. कालेज, कानपुर।	सदस्या
6.	डॉ0 जितेन्द्र कुमार सिंह, प्राचार्य, सर्वोदय विद्यापीठ महाविद्यालय, रायबरेली।	सदस्य
7.	डॉ0 मुनेश कुमार, उपाचार्य, शिक्षक–प्रशिक्षण विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
8.	डॉ0 बृजेश यादव, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
9.	डॉ0 विवेक द्विवेदी, महामंत्री, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
10.	डॉ0 सुधांशु पाण्डया, उपाचार्य, आई0बी0एम0, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
11.	डॉ0 सरोज द्विवेदी, सिस्टम मैनेजर, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
12.	श्री रणजीत यादव, उपकुलसचिव, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
13.	श्री राजबहादुर यादव, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सचिव

माननीय कुलपति जी ने नवागन्तुक सदस्यों का स्वागत एवं निवर्तमान सदस्यों के योगदान की सराहना करते हुए परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए :–

1. **परीक्षा समिति की आपात् बैठकों दिनांक 08.02.2016, 12.04.2016, 27.05.2016, 06.08.2016 एवं दिनांक 19.08.2016 के कार्यवृत्तों के सम्पुष्टि पर विचार :–**

परीक्षा समिति की आपात् बैठकों दिनांक 08.02.2016, 12.04.2016, 27.05.2016, 06.08.2016 एवं दिनांक 19.08.2016 के कार्यवृत्तों को परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से सम्पुष्ट किया।

2. **सत्र 2015–16 की बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0 तथा एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रमों के छात्रों की मुख्य/पूरक परीक्षाएं कराये जाने से परीक्षा समिति को संसूचित किए जाने पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि सत्र 2015–16 की बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0 तथा एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम के छात्रों की मुख्य/पूरक परीक्षाएं दिनांक 17.10.2016 से प्रारम्भ कर सम्पन्न करायी जा रही है।

परीक्षा समिति उक्त से संसूचित हुई।

3. **सत्र 2014–15 की बी0एड0/एम0एड0/बी0पी0एड0 पाठ्यक्रमों की बैकपेपर/भूतपूर्व छात्र परीक्षा, सत्र 2015–16 की बी0एड0/एम0एड0 (प्रथम वर्ष) के संस्थागत छात्रों की मुख्य परीक्षा तथा एलएल0बी0/बी0ए0एलएल0बी0 पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षा कराये जाने से परीक्षा समिति को संसूचित किये जाने पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव द्वारा प्रस्तावित कया गया कि सत्र 2014–15 की बी0एड0/एम0एड0 पाठ्यक्रमों की बैकपेपर/भूतपूर्व छात्र परीक्षा, सत्र 2015–16 की बी0एड0 (प्रथम वर्ष)/एम0एड0 (प्रथम वर्ष) के संस्थागत छात्रों की मुख्य परीक्षा तथा एलएल0बी0/बी0ए0एलएल0बी0 पाठ्यक्रमों की सेमेस्टर परीक्षाएं दिनांक 05.11.2016 से प्रारम्भ कर सम्पन्न करायी जानी है। सम्बन्धित परीक्षाएं राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाकर सम्पन्न करायी जानी है। सत्र 2014–15 की बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम की बैकपेपर परीक्षा दिनांक 07.11.2016 को सम्पन्न कराने का प्रस्ताव भी किया गया।

परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (परीक्षा)/प्रभारी, कोडिंग सेल

4. **छात्र अवधेश प्रताप सिंह द्वारा एलएल0बी0 तृतीय सेमेस्टर परीक्षा के द्वितीय प्रश्नपत्र के प्रश्न 1(b), 1(c) एवं 1(d) प्राश्निक द्वारा पाठ्यक्रम से इतर बनाये जाने की शिकायत पर गठित जाँच समिति की आख्या पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव द्वारा जांच समिति की आख्या को बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परीक्षा समिति ने जांच समिति के निष्कर्ष कि 'विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न करायी गई विधि तृतीय सेमेस्टर परीक्षा सत्र 2015–16, जो कि माह फरवरी, 2016 में सम्पन्न हुई थी, के पर्यावरण विधि में पाठ्येत्तर प्रश्न पूँछे जाने का प्रत्यावेदन वी0एस0एस0डी0 कालेज, कानपुर के छात्रों श्री अवधेश प्रताप सिंह व अन्य द्वारा दिनांक 7 मार्च, 2016 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रत्यावेदन पर प्राश्निक, एसोसिएट प्रोफेसर, श्री जकी हुसैन को विश्वविद्यालय के पत्रांक सं0–सी.एस.जे.एम.वि.वि./COE/मेमो/2016 दिनांक 14.03.2016 द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। प्राश्निक द्वारा दिनांक 15.03.2016 को अपना स्पष्टीकरण विश्वविद्यालय को प्रेषित किया गया। तदोपरान्त दिनांक 30.05.2016 को माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार डॉ0 बी0पी0 ओझा, प्राचार्य, डी0सी0 लॉ, कानपुर एवं डॉ0 अवनीश कुमार उपाध्याय, वी0एस0एस0डी0 कालेज, कानपुर को जाँच समिति का सदस्य तथा श्री रणजीत यादव, उपकुलसचिव को समिति का सचिव नामित किया गया। उक्त के सम्बन्ध में आदेश संख्या–सी.एस.जे.एम.वि.वि./COE/902/2016 दिनांक 06.06.2016 निर्गत किया गया।

जाँच समिति के नामित सदस्य प्रो0 ए0के0 उपाध्याय द्वारा प्रकरण की जाँच हेतु समिति को अपेक्षित सहयोग प्रदान न करने के कारण आदेश सं0–सी.एस.जे.एम.वि.वि./COE/983/2016 दिनांक 22.07.2016 के द्वारा डॉ0 ए0के0 उपाध्याय के स्थान पर डॉ0 एस0एस0 तोमर, बी0एन0डी0 कालेज, कानपुर को उक्त जाँच समिति का सदस्य नामित किया गया।

दिनांक 10.08.2016 को सम्पन्न हुई जाँच समिति की बैठक में पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् समिति द्वारा यह उपयुक्त पाया गया कि प्रत्यावेदक छात्रों को उनकी शिकायत के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने का अवसर प्रदान किया जाये। इस क्रम में कार्यालय पत्रांक–सी.एस.जे.एम.वि.वि./COE/1011–1014/2016 दिनांक 10.08.2016 द्वारा प्रत्यावेदक क्रमशः श्री अवधेश प्रताप सिंह, श्री मयंक यादव, श्री राघवेन्द्र पाण्डेय एवं श्री सतेन्द्र सिंह को दिनांक 22.08.2016 को जाँच समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किए। दिनांक 22.08.2016 को उपरोक्त समस्त प्रत्यावेदक जाँच समिति के समक्ष उपस्थित हुए और अपना लिखित एवं मौखिक कथन प्रस्तुत किया। जाँच समिति ने प्रत्यावेदकों को अलग–अलग विस्तृत रूप से भी सुना तथा यह निर्णय लिया कि दिनांक 31.08.2016 को प्राश्निक श्री जकी हुसैन को भी समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाये। प्राश्निक श्री जकी हुसैन दिनांक 31.08.2016 को समिति के समक्ष उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा पत्रावली, प्रत्यावेदकों के लिखित कथन एवं प्राश्निक के स्पष्टीकरण का अनुशीलन किया गया, जिसमें यह पाया गया कि प्रश्न संख्या–07, खण्ड–स का प्रश्न है, जिस खण्ड में कुल चार प्रश्न पूँछे जाते है, जिसमें से सिर्फ 02 प्रश्नों कें उत्तर देने होते है। अतएव प्रश्न संख्या–07 के लिए छात्रों के पास भरपूर विकल्प था, जिससे उनको कोई क्षति कारित नहीं हुई।

जहाँ तक प्रश्न संख्या–1(b), 1(c) एवं 1(d) का प्रश्न है यह पर्यावरण विधि के प्रारम्भिक रूप रेखा में समाहित है, यही कथन प्राश्निक का भी है कि उपरोक्त प्रश्न पर्यावरण विधि के प्रारम्भिक रूप रेखा से आच्छादित है, जिससे जाँच समिति भी पूर्ण रूप से सहमत है। यद्यपि कि उपरोक्त वर्णित प्रश्नों को पर्यावरण विधि के दायरे में माना जा सकता है, किन्तु पूँछे गए 4x3=12 अंकों के प्रश्न सम्बन्धित छात्रों हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम से तकनीकी रूप से बाहर के थे, जिससे छात्रों को 12 अंकों के प्रश्नों के उत्तर देने में असुविधा हुई। प्रश्नपत्र रचना का कार्य अतिगोपनीय है, इसमें संशोधन की कोई व्यवस्था नहीं है।

अतः उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर गहन विचार करने के पश्चात जाँच समिति इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि विधि पाठ्यक्रम के सम्बन्धित तृतीय सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्नपत्र (पर्यावरण विधि) के खण्ड 'A' में अंकित प्रश्न सं0–1(b), 1(c) एवं 1(d) निर्धारित पाठ्यक्रम (Syllabus) के बाहर के थे, जिनका पूर्णांक 12 अंक का है।''

समिति ने व्यापक विचार विमर्श के बाद यह निर्णय लिया कि उक्त पाठ्यक्रम के सम्बन्धित प्रश्नपत्र के सभी परीक्षार्थियों को 12 अंक के सापेक्ष उनके द्वारा प्राप्तांको के आधार पर समानुपातिक अंक, $\frac{12\times x}{88}$ अंक प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रदान कर दिये जाए। जहां पर 'x' सम्बन्धित अभ्यर्थी का प्राप्तांक हैं।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

दिनांक 07.09.2016 की विषय संयोजकों की बैठक में 54 प्रश्नपत्रों की परीक्षा ओ0एम0आर0 पद्धति पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नपत्रों के आधार पर कराये जाने से परीक्षा समिति को संसूचित किए जाने पर विचार :–

सत्र 2016–17 में स्नातक स्तर के तीनों वर्षो में बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित (MCQ-Pattern) प्रश्नपत्रों के पैटर्न में परिवर्तन हेतु माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में अध्ययन परिषद के संयोजकों की बैठक दिनांक 07.09.2016 को आहूत की गई, जिसमें निम्नांकित तालिका में वर्णित स्नातक स्तर के कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के विषयों के उनके

नाम के सम्मुख अंकित प्रश्नपत्रों की परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित (MCQ-Pattern) कराये जाने का निर्णय लिया गया–

A- कला संकाय :–

क्र.सं.	बी0ए0 प्रथम वर्ष	प्रश्नपत्र	बी0ए0 द्वितीय वर्ष	प्रश्नपत्र	बी0ए0 तृतीय वर्ष	प्रश्नपत्र
1.	अर्थशास्त्र	द्वितीय	अर्थशास्त्र	द्वितीय	अर्थशास्त्र	द्वितीय
2.	शिक्षाशास्त्र	द्वितीय	शिक्षाशास्त्र	द्वितीय	शिक्षाशास्त्र	द्वितीय
3.	अंग्रेजी साहित्य	द्वितीय	अंग्रेजी साहित्य	द्वितीय	अंग्रेजी साहित्य	प्रथम
4.	भूगोल	द्वितीय	भूगोल	द्वितीय	भूगोल	द्वितीय
5.	हिन्दी साहित्य	द्वितीय	हिन्दी साहित्य	द्वितीय	हिन्दी साहित्य	तृतीय
6.	इतिहास	द्वितीय	इतिहास	द्वितीय	इतिहास	प्रथम
7.	गृह विज्ञान	प्रथम	गृह विज्ञान	प्रथम	गृह विज्ञान	प्रथम
8.	राजनीति विज्ञान	द्वितीय	राजनीति विज्ञान	द्वितीय	राजनीति विज्ञान	तृतीय
9.	संस्कृत	द्वितीय	संस्कृत	द्वितीय	संस्कृत	द्वितीय
10.	समाजशास्त्र	द्वितीय	समाजशास्त्र	द्वितीय	समाजशास्त्र	द्वितीय
11.	उर्दू	प्रथम	उर्दू	प्रथम	उर्दू	प्रथम

B- वाणिज्य संकाय :–

क्र.सं.	बी0कॉम0 प्रथम वर्ष	प्रश्नपत्र	बी0कॉम0 द्वितीय वर्ष	प्रश्नपत्र	बी0कॉम0 तृतीय वर्ष	प्रश्नपत्र
1.	बिजीनेस रेगुलैटरी फ्रेमवर्क (Business Regulatory Framework)	चतुर्थ	इन्कम टैक्स (Income Tax)	चतुर्थ	मनी एण्ड फाइनेन्सियल सिस्टम (Money & Financial System)	तृतीय
2.	बिजिनेस इकोनॉमिक्स (Business Economics)	पंचम्	इन्ड्रस्ट्रियल लॉ (Industrial Law)	सप्तम्	इनफॉर्मेशन टेक्नोलाजी एण्ड इट्स एप्लीकेशनस इन बिजनेस(Information Techonology & it's Applications in Business)	चतुर्थ

C- विज्ञान संकाय :–

क्र.सं.	बी0एससी0 प्रथम वर्ष	प्रश्नपत्र	बी0एससी0 द्वितीय वर्ष	प्रश्नपत्र	बी0एससी0 तृतीय वर्ष	प्रश्नपत्र
1.	वनस्पति विज्ञान	द्वितीय	वनस्पति विज्ञान	द्वितीय	वनस्पति विज्ञान	द्वितीय
2.	रसायन विज्ञान	प्रथम	रसायन विज्ञान	द्वितीय	रसायन विज्ञान	तृतीय
3.	गणित	द्वितीय	गणित	द्वितीय	गणित	द्वितीय
4.	भौतिक विज्ञान	द्वितीय	भौतिक विज्ञान	प्रथम	भौतिक विज्ञान	प्रथम
5.	जन्तु विज्ञान	तृतीय	जन्तु विज्ञान	प्रथम	जन्तु विज्ञान	द्वितीय

उक्त प्रश्नपत्रों को ओ.एम.आर. पद्धति पर बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित (MCQ-Pattern) परीक्षा कराये जाने से परीक्षा समिति संसूचित हुई।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (परीक्षा/अतिगोपनीय)/सिस्टम मैनेजर

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :–

1. सत्र **2015–16 के संस्थागत/व्यक्तिगत/सेमेस्टर एवं मेडिकल परीक्षाओं से सम्बन्धित चुनौती मूल्यांकन की व्यवस्था में प्रयुक्त शब्द 'अधिकतम प्राप्तांक का स्पष्टीकरण'।**

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) की व्यवस्था से सम्बन्धित निर्गत प्रेस विज्ञप्ति सं0 सी0एस0जे0एम0वि0वि0/COE/866/2016 दिनांक 20.05.2016 में अंकित

'अधिकतम प्राप्तांकों' के सापेक्ष अंको की वृद्धि का अर्थ 'पूर्णांक' के सापेक्ष वृद्धि किए जाने पर कतिपय छात्रों ने आपत्ति की है।

परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के परीक्षण परिणाम घोषित किए जाने पर सहमति प्रदान की तथा उक्त प्रेस–विज्ञप्ति के बिन्दु–05 पर अंकित 'अधिकतम प्राप्तांक' को 'पूर्णांक' का समानार्थी मानते हुए 'अधिकतम प्राप्तांक' को 'पूर्णांक' पढ़े जाने वह समझे जाने की सहमति प्रदान की।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (अतिगोपनीय)/सिस्टम मैनेजर

2. **श्री शशांक त्रिपाठी, छात्र बी0फार्म, अष्टम् सेमेस्टर, इन्स्टीट्यूट ऑफ फर्मोसी की विशेष बैकपेपर परीक्षा कराये जाने पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि छात्र शशांक त्रिपाठी, बी0फार्मा–अष्टम् सेमेस्टर ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 17.10.2016 के माध्यम से अवगत कराया कि सत्र 2015–16 में फार्मास्युटिकल एनालिसिस (BPH-801) एवं मेडिशनल केमेस्ट्री (BPH-804) की विशेष बैकपेपर परीक्षा दी थी, किन्तु परीक्षाकाल में पिता जी के अस्वस्थ होने के कारण मानसिक तनाव में होने से परीक्षा की तैयारी ठीक से नहीं कर पाया, जिससे वह उक्त दोनो प्रश्नपत्रों में अनुत्तीर्ण हो गया। सचिव में यह भी अवगत कराया कि उक्त छात्र की 06 वर्ष में पाठ्यक्रम पूर्ण करने की अवधि समाप्त हो चुकी है तथा छात्र द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसे अन्तिम अवसर के रूप में विशेष बैकपेपर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएं। प्रभारी फार्मेसी संस्थान द्वारा यह अवगत कराया गया है कि इसी प्रकृति के दो–तीन छात्रों का प्रकरण और भी विचाराधीन हैं।

प्रकरण पर परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त उक्त छात्र के पिता के मेडिकल प्रमाणपत्र एवं रिपोर्ट के आधार पर आगे विचार किया जा सकता है।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

3. **प्राश्निकों से प्रश्नपत्रों के हल मांगे जाने पर विचार।**

समिति को अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया कि उत्तर पुस्तिकाओं के परिनिरीक्षण (Scruitiny) व चुनौती मूल्यांकन (Challenge Evaluation) के परिणामों की समीक्षा करने के उपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया हैं कि कतिपय परीक्षकों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सतही ढंग से किया गया हैं तथा परीक्षार्थियों द्वारा दिये गये उत्तरों के मूल्यांकन में सही उत्तरों के सापेक्ष कम अंक अथवा कोई अंक प्रदान नही किये गये हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यक हैं कि प्राश्निकों को प्रश्नपत्रों का हल उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया जाय जिससे मूल्यांकन सुगमता पूर्वक सम्पन्न किया जा सकें।

अध्यक्ष महोदय के उपर्युक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ऐसे प्रश्नपत्रों, जिनमें गणितीय (Numerical) प्रश्न सम्मिलित हो, के प्राश्निकों को गणितीय (Numerical) प्रश्नों के हल उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया जाएं।

4. **श्री रंजन कुमार, राजनीति विज्ञान विभाग, वी0एस0एस0डी0 कॉलेज, कानपुर एवं संयोजक, बोर्ड ऑफ स्टडीज, राजनीतिक विज्ञान के पत्र दिनांक 08.09.2016 पर विचार।**

परीक्षा समिति के सचिव द्वारा उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र के सन्दर्भ में यह अवगत करायां गया कि परास्नातक स्तर के सभी विषयों की मौखिकी परीक्षा हेतु पूर्णांक 100 निर्धारित हैं परन्तु राजनीति विज्ञान विषय की मौखिकी हेतु पूर्णांक 50 निर्धारित है अतः श्री रंजन कुमार द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि परास्नातक स्तर पर राजनीति विज्ञान विषय की मौखिकी हेतु पूर्णांक 100 निर्धारित किया जाना उचित होगा।

परीक्षा समिति द्वारा उक्त से सहमति व्यक्त करते हुए यह निर्णय लिया गया कि परास्नातक स्तर पर राजनीति विज्ञान की मौखिकी हेतु पूर्णांक 100 निर्धारित किये जाने विषयक प्रस्ताव बोर्ड ऑफ स्टडीज एवं विद्वत् परिषद (Academic Council) की आगामी बैठकों में प्रस्तुत किया जाए।

अन्त में मा0 कुलपति जी ने सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की।

26/10

(प्रो0 जे0वी0 वैशंम्पायन)
कुलपति

26/10/16

(राजबहादुर यादव)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव, परीक्षा समिति